भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3236
सोमवार, 9 दिसम्बर, 2019/18 अग्रहायण, 1941 (शक)

बेरोजगारी की स्थिति

3236. श्री बी॰ मणिक्कम टैगोरः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संपूर्ण देश में बेरोजगारी की दर गत पांच वर्षों में सर्वाधिक ऊंचाई पर है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने रोजगार की स्थिति के संबंद्ध में कोई अध्ययन किया है और इस सामाजिक बुराई के क्या कारण हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने संपूर्ण देश में चुनौतीपूर्ण बेरोजगारी की दर को नियंत्रित करने के लिए कोई लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): रोजगार बेरोजगार पर श्रम बल सर्वेक्षण राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) सांख्यिकीय कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जाते हैं। ऐसा पिछला वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) 2017-18 के दौरान आयोजित किया गया था। श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा भी संबंधी वार्षिक सर्वेक्षण आयोजित किए। सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर उपलब्ध सीमा तक अनुमानित बेरोजगारी दर नीचे दी गई हैः

बेरोजगारी दर	
सर्वेक्षण*	**बेरोजगारी दर**
2017-18 (पीएलएफएस)	**6.0%**
2015-16 (श्रम ब्यूरो)	**3.7%**
2013-14 (श्रम ब्यूरो)	**3.4%**

(टिप्पणीः* पीएलएफएस एवं श्रम ब्यूरो सर्वेक्षण में सर्वेक्षण की कार्य-पद्धति तथा प्रतिदर्श का चयन अलग-अलग है।)

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय देश भर में चार वर्षों अर्थात् 2016-2020 तक 12,000 करोड़ के परिव्यय से अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) एवं पूर्व सीखने को मान्यता (आरपीएल) के तहत एक करोड़ व्यक्तियों को कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) नामक एक फ्लैगशीप योजना का कार्यान्वयन कर रहा है।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को कार्यान्वित किया है, जिसमें एक ऐसा डिजिटल पोर्टल शामिल है जो गतिशील, दक्ष एवं सकारात्मक ढंग से योग्यता अनुरूप रोजगार हेतु रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है तथा इसमें रोजगार चाहने वालों हेतु आजीविका संबंधी विषय-वस्तु का भंडार है।

******